राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम, जयपुर 302005

दूरभाष नं0 0141–2226722, वेबसाईट www.cmar-india.org ई–मेलः dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : एफ–2 (घ) ( )(नि.) जांच/आर.एम.एस./डीएलबी/17/1828 दिनांक : 20/7/17

आदेश

श्री रमेश मीना, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, बीकानेर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर द्वारा दिनांक 07.07.17 को 2,000/–रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है तथा इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2017 पंजीबद्ध किया गया है।

चूंकि ऐसीबी से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रमेश मीना पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में 48 घन्टे से अधिक समय से अभिरक्षा में है।

अतः राजस्थान सेवाये (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रमेश मीना, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, बीकानेर को न्यायिक अभिरक्षा में लेने की दिनांक 07.07.17 से ही एतद् द्वारा निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय निदेशालय में रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर निगम, बीकानेर से देय होगा।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ–2 (घ) ( )(नि.) जांच/आर.एम.एस./डीएलबी/17/1829-1840 दिनांक : 20/7/17

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बीकानेर।
4. पुलिस अधीक्षक–प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/3/17/1437–40 दिनांक 12.07.17 के क्रम में।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर
7. सहायक निदेशक (सतर्कता) निदेशालय।
8. महापौर/आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
9. श्री रमेश मीना, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, बीकानेर।
10. आरएमएस (तकनीकी) अनुभाग, निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

890

Gajanand Sharma Rms (e)